तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/52/2003/चुरू बनवारी लाल वगैरहा बनाम फतेहचंद वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य

उपस्थित

श्री जे.के.पंत, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः- 22-10-2021

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-12-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर चुरू के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विवादित आराजी बाबत् मूल वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 04-10-2001 द्वारा स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 16-12-2002 से निरस्त कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/52/2003/चुरू बनवारी लाल वगैरहा बनाम फतेहचंद वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सम्वत 2014 से लगातार विवादित आराजी पर काबिजकाश्त चले आ रहे है। आगे बताया कि प्रश्नगत आराजी के संबंध में वादीगण का किसी प्रकार का कब्जाकाश्त नहीं है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर भूल की है। उनका तर्क है कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन जारी कर प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल करके त्रुटिकारित की है। उनका यह भी तर्क है कि केवल मात्र मौका रिपोर्ट को आधारित कर स्थगन जारी नहीं किया जा सकता है। उनका कथन है कि विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-12-2002 एवं सहायक जिला कलक्टर चुरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04-10-2001 तथा अप्रार्थीगण द्वारा पेश धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन आदेश को विधिसम्मत् होना बताते हुए निगरानी को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। उनका कथन है कि प्रार्थीगण का विवादित आराजी में हक व स्वत्व निहित होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य था। उनका कहना है कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपलब्ध रेकार्ड के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत निर्णय पारित किए है, जिनमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त विधि सम्मत तरीके से पारित आक्षेपित निर्णय को अन्यथा सिद्ध करने बाबत प्रार्थीगण ने किन्हीं नवीन तथ्यों का समावेश नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/52/2003/चुरू बनवारी लाल वगैरहा बनाम फतेहचंद वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए निगराधीन निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में निगरानी के माध्यम से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णयों की वैधानिकता पर ही विचार किया जाना है, जिसमें मुख्य रूप से प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दूओं को ही देखा जाना है। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी जमाबंदी सम्वत 2002 से 2013 तक कांशीराम के पांचों पुत्रों के नाम बतौर काश्तकारी दर्ज थी व सम्वत 2014 में केवल खडकचंद एवं रामकरण का नाम बहैसियत भूमि अधिकारी के तौर पर दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2018–2021 में पुनः परिवर्तन कर भू–धारक के कालम संख्या 4 में राजस्थान सरकार व काश्तकार के कालम में खडकचंद व रामकरण का नाम अंकित है। जो कि गलत इन्द्राज होना प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि सम्वत 2012 में जो व्यक्ति काश्तकार के रूप में दर्ज है, उन्हें ही खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रावधित है। रेकार्ड के परीक्षण से यह तथ्य सिद्ध होता है कि मामले में ग्राम पंचायत ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नामान्तरकरण संख्या 67 तस्दीक किया है, वह नियमों के विपरीत है। मामले में उद्धरित मौका रिपार्ट दिनांक 17–7–2001 के परिप्रेक्ष्य में यह पाया जाता है कि प्रश्नगत आराजी पर कब्जा फतेहचंद का दर्ज है। उक्त मौका रिपोर्ट जिम्मेदार राज्य सेवक द्वारा निर्मित्त की गई है तथा इसे अन्यथा सिद्ध करने बाबत किसी प्रकार की अकाट्य साक्ष्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/52/2003/चुरू बनवारी लाल वगैरहा बनाम फतेहचंद वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आराजी के बाबत समग्र रेकार्ड के अनुसार प्रथम दृष्टया हक व अधिकार कांशीराम के समस्त पुत्रों का ही धारित होता है एवं भूमि संयुक्त खातेदारी है। उक्त स्थिति में प्रार्थीगण ने हमारे समक्ष ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होना माना जा सकें। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधि सम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सांराशतः प्रार्थीगण ने निगरानी मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–12–2002 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर.मीणा)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/52/2003/चुरू बनवारी लाल वगैरहा बनाम फतेहचंद वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए